प्रेषक

जिला शैक्षिक विकास अधिकारी
जे0 पी0 नगर

सेवा में,

प्रबन्धक,
उमर सिंह-भाटी शैक्षिक विकास,
अजीमगढ़, पीलीकरी,
जे0 पी0 नगर

पत्रांक एफ0 : अ0शु0मा0/ 542-48 /2007-08 दिनांक 26/12/07

विषयः- जूनियर स्तर की अस्थायी मान्यता की स्वीकृति।

महोदय,

समरोला विकास आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षण वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता समिति की दिनांक 20-08-2007 में लिये गये निर्णयानुसार राजाज्ञा संख्या 640/15-5 नि-10 एस (1) 88/शिक्षा (5) अनुभाग सचिवालय दिनांक 13 अगस्त 1987 में दिये गये आदेशानुसार को अग्रांकित निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धों के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6 से 8 तक) स्तर की सशर्त अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध :-

1) विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की गयी पूर्व की अस्थायी मान्यता को स्थायी में परिवर्तित नहीं कर दी जाती।

2) प्रबन्धकीकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को नियमित वेतनमान की तारीख से प्रदा वेतन का भुगतान करना होगा।

3) विद्यालय में छात्रों के चरित्र निर्माण से सम्बन्धित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म सम्मान तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्राप्ति के लिये जारी विभिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये।

4) समिति के दर्शीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये।

5) शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयों की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा। भवन शुल्क/कैपिटेशन फीस के रूप में कोई धनराशि विद्यार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा।

6) मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान (वेतनमान वाली दरें) का निर्धारित होगा जो परिषद के समान मान्यता वाले शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे होंगे।

7) अनापत्तिप्रमाणी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा प्रबन्ध समय को कोई संलग्न न तो बन्द किया जायेगा और खोला जायेगा न समाप्त किया जायेगा।

8) विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, सभी अभिलेख विषय के रूप में चलाई जायेगी। विद्यालय में अनावश्यक पुस्तकों का संग्रह नहीं किया जायेगा।

P.T.O.

9) विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म तथा जाति के बच्चों का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा।

10) विद्यालय में समस्त प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

11) विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों एवं आश्रितों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।

12) विभागीय आदेशों का पालन किया जाये।

13) विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओं पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए।

14) विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमों और समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा।

15) विभागीय आदेशों /नियमों की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है।

16) जिन विद्यालयों के शिक्षा कक्ष छोटे हैं वह दस रक्वायर फिट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करते हुए छात्रों को बैठायें तथा भविष्य में विभागीय निर्धारित माप 20-25 की माप के कक्षों का निर्माण करायें।

सहमति

(योगराज सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जे० पी० नगर
दिनांक उक्तवत

पृष्ठांकन सं०: अ०जू०ना०/ /2006-07

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ० प्र० इलाहाबाद।
2. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उ० प्र० इलाहाबाद।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वादश मण्डल मुरादाबाद।
4. जिला समाज कल्याण /अल्प संख्यक कल्याण /पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जे० पी० नगर।
5. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी जे० पी० नगर।
6. शिक्षा अधिक्षक /अधिक्षिका नगर क्षेत्र हसनपुर/अमरोहा।
7. सम्बंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रतिसंपविद्यालय निरीक्षक जे० पी० नगर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जे० पी० नगर

Kumar Singh
Khalil Singh Bhaskar Singh
Khalilpur Pa...
Dist. Amroha U.P.
Mobile 9722182111